<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश,बहराइच।</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–62/2026

(C.N.R. No.–UPBH010006282026)

अमृतलाल पाल–बनाम–राज्य उ०प्र०।

<u>13.05.2026</u>

पत्रावली आज सुनवाई हेतु पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र, अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियमः–</u>

आवेदक अमृतलाल पाल की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने पुनरीक्षण निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है किः–

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता ने उपरोक्त उनवान की एक दाण्डिक पुनरीक्षण सत्र न्यायालय पर योजित किया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रकरण में उसके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, किन्तु पुनरीक्षण प्रश्नगत आदेश की तिथि दिनांक–29.10.2025 से विहित समयसीमा के अनुसार मात्र 02 दिन विलम्ब से है। उक्त विलम्ब उसने जान–बूझकर कारित नहीं किया है, बल्कि विलम्ब मात्र अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से विरत हो जाने के कारण हुआ है, जिसमें उसकी कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि न्यायहित में पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर पुनरीक्षण का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये। प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र से समर्थित है।

विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक–29.10.2025 को आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते अवमुक्त किये जाने धनराशि व दिये जाने अनुमति बावत संचालन बैंक खाता संख्या 055010468661 को निरस्त किया है। संलग्न नकल फोलियो के अनुसार आवेदक द्वारा दिनांक–09.01.2026 को प्रश्नगत आदेश दिनांकित–29.10.2025 की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया और दिनांक–14.01.2026 को नकल प्राप्त की गई, जबकि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र योजित करने की समयसीमा तीन माह के उपरान्त लगभग 06 दिन विलम्ब से दिनांक–04.02.2026 को सत्र न्यायालय में योजित किया गया, जिसके योजित करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में विद्वान अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से विरत हो जाने का आधार लिया गया है। यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों से आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का कार्यवाही के प्रति उपेक्षा का आचरण परिलक्षित होता है, तथापि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की यह वांछना है कि गुणदोष पर उभय पक्षों को सुनकर मामले का निस्तारण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता को कारित किये गये विलम्ब के मर्षण का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले के गुणदोष के आधार पर निस्तारण के

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.05.13 14:06:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लिये आवेदक का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पुनरीक्षण अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–25.05.2026 को पेश हो।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id.No.UP02017

दिनांक–13.05.2026